"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी.2-22-छत्तीसगढ़ गजट / 38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-05-2001."

पंजीयन क्रमांक
"छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2013-2015."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)
प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 200] रायपुर, गुरुवार, दिनांक 18 मई 2017 — वैशाख 28, शक 1939

राजभवन
रायपुर

रायपुर, दिनांक 17 मई 2017

आदेश

क्रमांक एफ 1-1/2012/रास/यू.-11. — छत्तीसगढ़ कामधेनु विश्वविद्यालय अधिनियम, 2011 की धारा 9 की उपधारा (3) (क) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए माननीय कुलाधिपति द्वारा डॉ. यू. के. मिश्र, कुलपति, छत्तीसगढ़ कामधेनु विश्वविद्यालय, अंजोरा, दुर्ग को नये कुलपति के पदभार ग्रहण करने तक अथवा छ: माह की कुल अवधि में से, जो पहले हो, कुलपति के पद पर बने रहने हेतु निर्देशित किया गया है.

हस्ता./-
(जनमेजय महोबे)
राज्यपाल के संयुक्त सचिव.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय मुद्रणालय, रायपुर से मुद्रित तथा प्रकाशित - 2017.